जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष :+91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

पत्रांक : BRLPS/Project/497/14/570 दिनांकः 29.05.2015

कार्यालय आदेश

(सामुदायिक संगठनों के स्तर पर वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता देने हेतु क्षमता वर्धन की प्रक्रिया अपनाने की कार्यनीति)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के द्वारा राज्य स्तर पर ग्रामीण रोजगार के संसाधन बढ़ाने हेतु सामुदायिक संगठनों (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन आदि) का निर्माण किया गया है। संबंधित सामुदायिक संगठनों का उचित क्षमता वर्धन करके उनका जुड़ाव मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं के साथ करवाया गया है। विभिन्न बैंकों का स्वयं सहायता समूह के साथ वित्तीय लेन–देन परियोजना के शुरुआत से अच्छी रही है। इसी का परिणाम है कि 31 मार्च 2015 तक लगभग 2.11 लाख से ज्यादा समूहों का बचत खाता विभिन्न बैंकों में खोला जा चुका है। साथ ही इसी अवधि तक तकरीबन 1.10 लाख समूहों का वित्तीय पोषण (प्रथम एवं द्वितीय) बैंकों के माध्यम से किया जा चुका है। **जीविका का लक्ष्य भविष्य में लगभग 10 लाख समूहों को बैंकों के माध्यम से वित्तीय संपोषण उपलब्ध करवाना है और यह तभी संभव होगा जब बैंकों के साथ सामुदायिक संगठनों का लेन–देन ससमय एवं निरंतरता के साथ हो। पिछले कुछ महीनों में यह देखा गया है कि बैंकों से प्राप्त ऋण की वापसी समूहों द्वारा ससमय नहीं की जा रही है।** इससे न सिर्फ सामुदायिक संगठनों की साख पर प्रश्नचिह्न लगा है अपितु भविष्य में सामुदायिक संगठनों को विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्ति में दिक्कत आ सकती है। यह भी देखा गया है कि जहॉ भी सामुदायिक संगठनों को ससमय ऋण वापसी की महत्ता बताकर प्रेरित किया जाता है वहॉ काफी सकारात्मक परिणाम तत्काल निकलते हैं। तात्पर्य यह है कि ऋण वापसी से संबंधित मुद्दे के समाधान हेतु जिला एवं प्रखंड स्तर पर तत्पर रहने से बेहतर परिणाम आते हैं।

सामुदायिक संगठन विभिन्न बैंकों के साथ अपनी संबद्धता सतत् रुप से भविष्य में भी बनाये रखें, इस हेतु निम्नलिखित कार्यों को करने का निदेश दिया जाता हैः

(क) **जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि सामुदायिक संगठनों द्वारा बैंकों की ऋण वापसी का मुद्दा जिला स्तर की हरेक बैठक का एक महत्वपूर्ण अंग हो।**

(ख) **सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक हरेक महीने संबंधित प्रखंडों के बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर समूहों की वस्तुस्थिति (ऋण वापसी) का विवरण प्राप्त करेंगें।** प्राप्त विवरणी के आधार पर

29/5/15

समुचित ऋण वापसी की प्रकिया अपनाने का मार्गदर्शन परियोजना कर्मियों एवं सामुदायिक संगठनों को करेंगें।

(ग) **जहॉ पर भी संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण हो चुका है वहॉ पर बैंकों के प्रतिनिधियों को निमंत्रण देकर उन्हें संगठन की मासिक बैठक में सम्मिलित करने की जरुरत है। इस प्रकिया से धीरे-धीरे CBRM (Community Based Recovery Mechanism) का महत्व बढ़ेगा एवं सामुदायिक भागीदारी से वित्तीय अनुशासन व्यवहार में लाया जा सकेगा।**

(घ) जिन प्रखंडों में संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण नहीं हो सका है, वहॉ पर ग्राम संगठनों के प्रतिनिधियों (सामुदायिक संगठक, लेखापाल सहित) की बैठकर बुलाकर वित्तीय अनुशासन के महत्व को रेखांकित करने की जरुरत है। **प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा इस तरह की बैठक कार्यालय आदेश पारित होने के 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित करनी होगी।** इस तरह की बैठक या तो संकुल स्तर पर की जा सकती है या फिर प्रखंड इकाई स्तर पर भी की जा सकती है। **यह उपयुक्त होगा कि तय समय सीमा के बाद किये गये कार्यों की समीक्षा हेतु फिर से बैठक आयोजित की जाए ताकि प्राप्त उपलब्धियों एवं महसूस की गई कठिनाईयों का आकलन किया जा सके।** कुछ अंतराल के बाद जिन संभावित बिन्दुओं का आकलन किया जा सकता है वे निम्नलिखित हैं :

1. ग्राम संगठनवार कुल समूहों की संख्या जिन्होंनें अपने बैंक ऋण की राशि वापस की है तथा अपने खाते को नियमित कर दिया है :
2. ग्राम संगठनवार बैंकों में जमा की गयी ऋण की राशिः
3. ग्राम संगठनवार कुल समूहों की संख्या जो समय पर ग्राम संगठन को ऋण वापस कर रहे हैंः

(ड.) **राज्य स्तर की MIS team को निदेशित है कि निम्नलिखित मापदंडों को वे सभी स्तर (प्रखंड, जिला, राज्य) की reporting के लिए समेकित कर लेः**

1. कुल समूहों की संख्या जो बैंकों के द्वारा वित्त पोषित हैंः
2. कुल समूहों की संख्या जो Irregular Repayment कर रहे हैंः
3. पिछले माह की तुलना में Irregular Repayment कर रहे समूहों की संख्या बढ़ी है/घटी है :
4. कुल समूहों की संख्या जो NPA (Non-Performing Asset) की श्रेणी में चले गये हैंः
5. पिछले माह की तुलना में NPA (Non-Performing Asset) समूहों की संख्या बढ़ी है/घटी है :

29/5/15

(च) यह जरुरी है कि बैंक लिंकेज करने के वक्त इस बात का **समुचित ध्यान रखा जाए कि सिर्फ वैसे ही समूहों को बैंक ऋण हेतु प्रस्तावित करें जिनके द्वारा पंचसूत्र के सिद्धांतों को बेहतर तरीके से पालन किया जा रहा है। शुरुआती दौर में बरती गयी सतर्कता समूहों के स्तर पर वित्तीय अनुशासन को स्थापित करने में मदद देगी। यह बात समझनी होगी कि आज की तारीख में कहीं भी समूहों द्वारा वित्तीय अनुशासन अगर नहीं बरती जाती है तो बाकी समूहों पर उसका नकारात्मक असर पड़ता है।** इसका कारण है कि बैंकों की शाखाओं की जानकारी कम्पयूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से हर जगह उपलब्ध है। अतः वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु सामुदायिक भागीदारी समाधान का एक रास्ता है।

उपर्युक्त कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी जिला परियोजना प्रबंधकों की होगी। **यह सुनिश्चित करना जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी कि कार्यालय आदेश की प्रति सभी परियोजना कर्मियों एवं संकुल स्तरीय संगठनों को उपलब्ध करवा दी गयी है एवं उस पर चर्चा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।**

29/5/15

(डा0 एन0 विजयलक्ष्मी)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रतिलिपि :

1. OSD/Director/FO/AO/PS
2. PCs/SPMs/PMs/SFMs/AFMs/PAs
3. All DPMs/ In charge DPMs / Thematic Managers/YPs
4. All BPMs/In charge BPMs/All Staffs of BPIUs
5. CLFs/VOs
6. IT section/Account Section
7. Concerned file.